रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21072020-220619
CG-DL-E-21072020-220619

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 21, 2020/ आषाढ़ 30, 1942
No. 174] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 21, 2020/ASHADHA 30, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2020

सं. 14/2015–2020

विषयः सीएक्सएल कोटा के तहत यूरोपीय संघ को तरजीही कोटा चीनी के निर्यात की मात्रा का आबंटन।

फा.स.01/91/180/879/एएम08/निर्यात प्रकोष्ठ (खंड VIII)/ई–20749.—से जारी विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्द्वारा 01.10.2020 से 30.09.2021 तक की अवधि के लिए यूरोपीय संघ (ईयू) को सीएक्सएल रियायतों के तहत 10,000 मीट्रिक टन (दस हजार मीट्रिक टन) चीनी (खांड और/या सफेद चीनी) की मात्रा आबंटित करते हैं।

2. दिनांक 24.04.2015 की अधिसूचना सं. 3/2015–20 के अनुसार सीएक्सएल कोटा के तहत यूरोपीय संघ को चीनी (एचएस कोड 17010000) का निर्यात उपर्युक्त अधिसूचना में 'प्रतिबंधों का स्वरूप' में अधिसूचित शर्तों के अधीन 'मुक्त' है। उक्त अधिसूचना में यथा अधिसूचित एपीडा को रिपोर्ट करने की शर्त का पालन किया जाना जारी रहेगा।

3. दिनांक 25.09.2009 के यूरोपीय संघ विनियमन (ईसी) संख्या 891/2009 के अनुच्छेद–10 के अनुसार "आदेश सं. 09.4321 के तहत सीएक्सएल रियायती चीनी कोटे हेतु मुक्त वितरण के लिए यह रिलीज विनियमन (ईईसी) संख्या 2454/93 के अनुच्छेद–55 से 65 के अनुसार संबंधित तीसरे देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उद्गम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन होगी।" तदनुसार, निर्यात प्राधिकार दस्तावेज ईयूआर और जीएसपी में की जाने वाली प्रविष्टियां निम्नानुसार हैं:

(i) सीएक्सएल रियायती चीनी

"[अनुसूची सीएक्सएल (यूरोपीय समुदाय) के तहत विनियमन (ईसी) सं. 891/2009 का अनुप्रयोग। सीएक्सएल रियायती चीनी क्रम सं. 09.4321]"

4. उपरोक्त पैरा (3) में दिए गए ब्यौरे के अनुसार उद्गम का प्रमाण–पत्र अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुम्बई द्वारा जारी किया जाएगा और ईयूआर प्रपत्र को सीमाशुल्क विभाग के द्वारा पोतलदान के पत्तन पर पृष्ठांकित किया जाएगा। इसके अलावा, वर्ष 2020–21 हेतु सीएक्सएल कोटा के तहत चीनी का पोतलदान परेषिति यूरोपीय संघ दशों को इस सार्वजनिक सूचना को अधिसूचित किए जाने की तिथि से अनुमत होगा।

5. इस अधिसूचना का प्रभाव:

दिनांक 01.10.2020 से 30.09.2021 तक सीएक्सएल कोटा के तहत यूरोपीय संघ को निर्यात की जाने वाली चीनी (खांड और/या सफेद चीनी) की 10,000 मीट्रिक टन मात्रा अधिसूचित की गई है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं

पदेन अपर सचिव,

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 21st July, 2020

No.14/2015-2020

Subject: Allocation of quantity for export of preferential quota sugar to EU under CXL quota.

F.No.01/91/180/879/AM08/Export Cell (Vol.VIII)/E-20749.—In exercise of the powers conferred under Paragraphs 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby allocates a quantity of 10,000 MT (Ten Thousand Metric Ton) of sugar (raw and/or white sugar) under CXL concessions to European Union (EU) for the period 01.10.2020 to 30.09.2021.

2. As per Notification No. 3/2015-20 dated 20.04.2015, export of sugar (HS Code 17010000) to EU under CXL Quota is 'Free' subject to the conditions notified in the 'Nature of Restrictions' in the above notification. The reporting requirement to APEDA as notified in the said Notification would continue to be followed.

3. As per Article 10 of European Union Regulation (EC) No. 891/2009 of 25.9.2009 "release for free circulation for the quotas of CXL concession sugar with Order No. 09.4321 shall be subject to the presentation of a Certificate of Origin issued by the competent authority of the third country concerned in accordance with Articles 55 to 65 of Regulation (EEC) No. 2454/93". Accordingly, the entries to be made in the export authorization document EUR and GSP are as follows:-

(i) CXL Concessions Sugar

"[Application of Regulation (EC) No. 891/2009 under Schedule CXL (European Communities). CXL Concessions Sugar Serial No. 09.4321]".

4. Certificate of Origin as per details given in para (3) above shall be issued by the Additional Director General of Foreign Trade, Mumbai and EUR Form is to be endorsed by Customs at the Port of Shipment. Further,

Shipments of sugar under CXL quota for 2020-21 shall be allowed to consignee European Union Countries from date of notification of this Public Notice.

5. **Effect of this Public Notice:**

The quantity of 10000 MT sugar (raw and/or white sugar) to be exported to EU under CXL Quota from 01.10.2020 to 30.09.2021 has been notified.

AMIT YADAV, Director Genl. of Foreign Trade. Secy.
Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2020.07.21 21:38:21 +05'30'